**<u>कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढवाल।</u>**

**<u>आदेश संख्या– 85, दिनांक–05.11.2026</u>**

जैसा कि अवगत है कि **जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969** में **संशोधन अधिनियम सं0 12, 2026** द्वारा उक्त मूल अधिनियम की **धारा– 13** में अन्य उपधाराओं के साथ **उपधारा 3(ए) जोड़कर** उक्त उपधारा 3(ए) के माध्यम से जन्म/मृत्यु के संबंध में, **जहां जन्म/मृत्यु की सूचना उसके घटित होने के दो वर्ष की अवधि के पश्चात रजिस्ट्रार को दी जाती है, ऐसे प्रकरणों में वांछित जन्म/मृत्यु का पंजीकरण संबंधित थानाक्षेत्र की क्षेत्राधिकारिता रखने वाले प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा निर्गत आदेश के पश्चात ही**, वांछित शुल्क भुगतान के उपरांत **किया जाएगा।** उक्त संशोधन दिनांक 01.10.2026 से लागू हो चुका है।

अतः माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टिहरी गढवाल से विचार–विमर्श एवं परामर्श के उपरांत न्यायिक कार्य के सुचारू रूप से संचालन हेतु जनपद टिहरी गढवाल की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता वाले थाना क्षेत्रों के संबंध में ऐसे प्रकरणों की बाबत व्यवस्था निम्नवत की जाती है–

| क्र0 सं0 | थाना क्षेत्र | न्यायालय |
|---|---|---|
| 1. | थाना नई टिहरी, थाना थत्यूड, थाना छाम। | न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज(सी0डि0), नई टिहरी। |
| 2. | थाना घनसाली, थाना चम्बा, थाना कैम्पटी, थाना लम्बगांव। | न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज(जू0डि0), नई टिहरी। |
| 3. | थाना मुनिकीरेती, थाना नरेन्द्रनगर। | न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज(जू0डि0) नरेन्द्रनगर। |
| 4. | थाना देवप्रयाग, थाना कीर्तिनगर, थाना हिण्डोलाखाल। | न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज(जू0डि0) कीर्तिनगर। |

-sd-

उपरोक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत वाले उपरोक्त वर्णित प्रकीर्ण वादों को प्रस्तुत करने, सुनवाई करने एवं निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार उपरोक्त न्यायालयों को प्राप्त होगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

**(रिंकी साहनी)**
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
टिहरी गढवाल।

पत्रांक संख्या 231 /2026, तद्दिनांक–05.11.2026
प्रतिलिपि–

1. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टिहरी गढ़वाल के समक्ष सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– जिला मजिस्ट्रेट, टिहरी गढवाल।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल (सिविल पुलिस थानों के सूचना हेतु)।
4– संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
5– निदेशक अभियोजन जनपदीय अभियोजन निदेशालय, टिहरी गढ़वाल।
6– अध्यक्ष/सचिव, जिला बार एसोसिएशन, टिहरी गढ़वाल।
7– सिस्टम ऑफिसर, टिहरी गढवाल।
8– गार्ड फाईल।

-sd-
**(रिंकी साहनी)**
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
टिहरी गढवाल।